



PBC No: 46/2022
RBE No: 28/2022

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
मुख्य कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

सं/No: P(R)676/P/Vol.VII

दिनांक/Dated: 17.03.2022

All Concerned

**विषय /Sub: Comprehensive Transfer Policy – eligibility service condition for
Non-Gazetted Employees on Inter-Railway Request Transfer (IRRT)**

A copy of Railway Board's letter No. E(NG)I-2017/TR/24 dated 10.03.2022 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 31-08-2015 referred therein has been circulated as **PBC No. 184/2015**.

Digitally signed by M SENTHIL KUMAR
Date: 2022.03.17 14:48:29 +05'30'

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी / समन्वय
Deputy Chief Personnel Officer/ Co-ord

Encl: 10 pages

Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR

IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website

RBE No. 28 / 2022

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2017/TR/24
(E-File No. 3228646)

New Delhi dated 10 .03. 2022

The General Manager (P)
All Zonal Railways/Production Units
(As per standard List).

Sub: Comprehensive Transfer Policy – eligibility service condition for Non-Gazetted Employees on Inter-Railway Request Transfer (IRRT).


Ref.: Railway Board's letter No. E(O)III-2014/PL/05 dated 31.08.2015.

Attention is invited to Para (xi) of Board's letter E(O)III-2014/PL/05 dated 31.08.2015 on the subject referred to above, wherein it was stated that in the case of Non-Gazetted Railway employees, no inter-railway transfer requests will be considered till completion of five (05) years of joining Railway.

2. References have been received from Zonal Railways that they find difficulties to relieve the employees on transfer for considerably long periods for want of reliever to man important especially in safety category posts, which cannot be left vacant. Though, the employees having applied consciously for recruitment against the vacancy advertised by the Zonal Railway to which he is appointed, has no legal claim/right to such transfer to places near his hometown. It is only considered on sympathetic grounds in very special cases of hardships. A large number of transfer requests from newly recruited employees and their relieving by Railway adversely affecting the smooth functioning for want of trained manpower.

3. The matter has accordingly, been considered by Board (CRB & CEO) and in partial modification of Board's letter cited above, it has now been decided that the minimum service period should be enhanced for IRRT from five year to ten years. However, the categories of staff for which such enhancement would be applicable may be decided by the General Manager in consultation with Unions for the concerned Zonal Railway.

DA: As above


(Sanjay Kumar)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
Ph. No.43658/011-23303658
E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.

No. E(NG)I-2017/TR/24

New Delhi dated 10.03.2022

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Department Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 copies).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhavan, New Delhi.
12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. General Secretary, All India SC&ST Railway Employee Association, Rail Bhavan, New Delhi.



For Secretary/Railway Board

PS TO MR,

PPSs to Chairman & CEO, M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), M(Fin.), Secretary, DG/HR, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Commerl.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elect.), AM (Budget), AM(F), AM (Mech.), AM (Plg.), AM(Project), AM(PU), AM (Signal), AM(Store), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), PED(Vigilance), PED(Infra).

PS to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME (W), EDERS(G), EDE(Resv.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X), EDF(X)-II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), ED(T&MPP), EDME(Coaching), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G), and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N), DE@, DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)-I, E(NG)-II, E(Rep)-I, E(Rep)-II, E(Rep)-III, E(SCT)-I, E(SCT)-II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)-I, E(P&A)-II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
9. (RAILWAY BOARD)

No.E(O)III/2014/PL/05

New Delhi, dated 31.08.2015

General Managers
All Indian Railways/Production Units
(As per Standard List)

Sub: COMPREHENSIVE TRANSFER POLICY FOR RAILWAY OFFICERS

1. The transfer policy for Railway Officers has been reviewed by the Ministry of Railways. In supersession of all existing instructions, Ministry of Railways have now decided to formulate a Comprehensive Transfer Policy for Railway Officers. The salient features of the Comprehensive Transfer Policy are given in the succeeding paragraphs:

(i) Ordinarily a Group 'A' officer will not be transferred out of his allotted Zone/Unit till Selection Grade.

On empanelment to Group 'A', there may be inter-Zonal transfer of a Group 'B' officer with residual service of more than 3 years.

(ii) Officers, will be considered for posting to Railway Board/RDSO/CTIs/PUs/Other Units in administrative interest after completion of minimum of 5 years in allotted zone.

(iii) No request for transfer will be considered till completion of 5 years in assigned zone.

(iv) Transfers and postings will be done against clear vacancy of a sanctioned post. The present policy of posting officers to the Eastern Region on return from deputation abroad will continue to be followed.

(v) Posting in Railway Board/CTI/RDSO/RRB is tenure posting having maximum tenure of 5 years and not a deputation post. Hence, normal procedure for inter Railway/Unit transfers be followed.

(vi) A cooling off period of minimum 3 years between two tenures in Railway Board/RDSO will be required.

(vii) Normally, minimum tenure on a particular post at a time will be 2 years and maximum tenure will be 5 years. For sensitive posts, maximum tenure will be 4 years. Minimum tenure will not be applicable for Junior Scale/Senior Scale officers of Group A. However, in administrative exigencies, relaxation may be granted by cadre controlling officer.

(viii) Total stay at a stretch at a particular station should not be more than 10 years and the total cumulative stay (in broken spells) should not be more than 15 years. Deputation to PSUs and other Ministries will not be counted for this purpose. This will be implemented in a phased manner.

(ix) In case of IRMS doctors (including Dental Cadre) in Railways, the proposed policy will be as per following guidelines :-

(a) The transfer of doctors within and outside the zone should be decided by the Railways/Board at appropriate level on case-to-case basis, keeping in view the administrative interest. Total stay at a stretch/cumulative stay (in broken spells in a particular station) be limited to 15&20 years respectively. However, while issuing such transfer orders the following guidelines should be observed.

(1) Super specialist doctors can only be transferred from one super speciality centre to another super speciality center of same specialities.

(2) Senior specialist of Central Hospital of the Zone or Division should be transferred to another Divisional or Zonal Centre of equal status.

(3) General Duty Medical Officers and Dental Surgeon can be shifted from one such post to equivalent post in other places.

Note : The idea behind these guidelines is that specialist services are not disturbed while keeping the administrative interest in mind.

(x) Transfer of RPF/RPSF personnel will be in terms of Railway Board Standing Order No.102 and 110 issued by DG/RPF. Total stay at a stretch at a particular station should not be more than 10 years and the total cumulative stay (in broken spells) should not be more than 15 years.

(xi) In terms of para 124 of IREC, Vol.I, GMs have full powers to make rules with regard to non-gazetted Railway Servants. No change is recommended. Maximum tenure on sensitive posts will however be 4 years. In case of non-gazetted Railway employees, no inter railway transfer request will be considered till completion of 5 years of joining Railway.

(xii) Deputation of Railway Officers will be governed by DOP&T's guidelines as adopted by Ministry of Railways vide letter No.2010/F(E)II/1(1)/1 dated 28.07.2010.

(xiii) Transfers other than those caused due to promotion, deputation/return from deputation, retirements etc. will be generally issued from January to March. However, in administrative exigencies, transfer orders may be issued as and when required.


(xiv) The controlling officer will ensure that the officer transferred will be relieved within a maximum period of one month.

(xv) A government servant who is also a care giver of disabled child may be exempted from the routine exercise of transfer/rotational transfer subject to administrative constraints as per OM No.42011/3/2014-Estt.(Rs.) dated 6.6.2014

(xvi) Every effort will be made to post the husband and wife at the same station as detailed in DOP&T's Circular No. F.No.28034/9/2009-Estt(A) dated 30th September 2009.



(xvii) All fresh transfer orders will be governed by this policy.

(xviii) In future, requests for inter railway transfers from officers will be done online for which a system will be developed separately and circulated.


(N.Soman)
Joint Secretary (Gazetted)
Railway Board

Copy to :-

1. PS/MR, EDPG/MR, PS/MOS(R), Adv(PG)/MOS(R), ED(Innovation)/MOS(R).
2. PSO/Sr.PPSs/ PPSs/ PSs to CRB, FC, MS, ME, MM, ML, MT, Secretary, DG/RPF, DG/RHS, All Additional Members/Advisers, OSD/PRI, All Executive Directors, JS(G), JS(E), JS(E)-II, JS, JS(Dep), JS(P), JS(C)/P, ADG/PR, Dir(E), Dir(GA), Dir(A), DIP, Dir(C)/CRB, US(C), US(A), US(A)-II, US(Prot.), Railway Board.
3. Director Generals RDSO Lucknow and NAIR, Vadodara
4. CAO/COFMOW, New Delhi
5. Pay and Accounts Officer, Railway Board.
6. Secretary General, FROA & IRPOF, Rail Bhawan, New Delhi
7. Secretary General AIRPEA, Rail Bhawan, New Delhi
8. General Secretary, AIRF and NFIR, Rail Bhawan New Delhi
9. General Secretary, All India SC & ST Association, Rail Bhawan
10. Railway Board Secretariat Service Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
11. Railway Board Computer Centre: for updating the information on website.

	National Federation of Indian Railwaymen (N.F.I.R.) 3, Chelmsford Road, New Delhi.
No. 11/14/Part. VI	Dt: 10.09.2015
Copy to the General Secretaries of affiliated Unions and Office Bearers of NFIR for information & comments if any.	 (Dr. M. Raghavilab) General Secretary
C:/Media Centre/NFIR	

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)-2017/टीआर/24
(ई-फाइल सं. 3228646)

नई दिल्ली, दिनांक 10.03.2022

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: व्यापक स्थानांतरण नीति - अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अंतर-रेलवे स्थानांतरण अनुरोध (आईआरआरटी) संबंधी पात्रता सेवा शर्त।


संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.08.2015 का पत्र सं. ई(ओ)III-2014/पीएल/05.

आपका ध्यान उक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 31.08.2015 के पत्र सं. ई(ओ)III-2014/पीएल/05 के पैरा (xi) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में, रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने के पाँच (05) वर्ष तक अंतर-रेलवे स्थानांतरण अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें मुख्यतः संरक्षा कोटि के पदों, जिन्हें रिक्त नहीं रखा जा सकता पर रितीवर की कमी के कारण कर्मचारियों को लंबी अवधि पर स्थानांतरण पर भेजने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, कर्मचारी क्षेत्रीय रेलों द्वारा रिक्ति विज्ञापनों के तहत सोच-समझ कर आवेदन करते हैं, जहां उनकी नियुक्ति की जाती है, इसलिए उन्हें अपने गृहनगर के पास ऐसे स्थानांतरण के लिए कानूनी दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन पर केवल कठिन परिस्थितियों के विशेष मामलों में सहानुभूति के आधार पर विचार किया जाता है। नवनि्युक्त कर्मचारियों से बड़ी संख्या में स्थानांतरण अनुरोध और रेलवे द्वारा उनको रितीव करने के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी होने से कार्य को सुचारु रूप से चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3. तदनुसार, इस मामले पर बोर्ड (सीआरबी एवं सीईओ) द्वारा विचार किया गया है और बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध के लिए न्यूनतम सेवा को पाँच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किया जाए। बहरहाल, जिन कोटियों के कर्मचारियों के लिए यह अवधि बढ़ाई जानी है, इसका निर्णय संबंधित क्षेत्रीय रेलों के यूनियन के परामर्श से महाप्रबंधक द्वारा लिया जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त


(संजय कुमार)

उप निदेशक/स्थापना (एन)

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 43658/011-23303658

ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफए, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त/ लखनऊ
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन 
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(ओ)111/2014/वीपल/05

नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2015

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- रेलवे अधिकारियों के लिए व्यापक स्थानान्तरण नीति।

1. रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति की समीक्षा की गई है। सभी विद्यमान अनुदेशों के अधिक्रमण में रेल मंत्रालय ने अब रेलवे अधिकारियों के लिए व्यापक स्थानान्तरण नीति बनाने का विनिश्चय किया है। व्यापक स्थानान्तरण नीति की मुख्य विशेषताएं अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई हैं:

(i) सामान्य तौर पर किसी ग्रुप 'ए' अधिकारी को उसे आबंटित रेलवे/यूनिट से बाहर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक वह सेलेक्शन ग्रेड में नहीं पहुंच जाता है।

ग्रुप 'ए' में पैनलबद्ध होने पर किसी ऐसे ग्रुप 'बी' अधिकारी का अन्तर-रेलवे स्थानान्तरण किया जा सकता है जिसकी 3 वर्ष से ज्यादा सेवा बची हो।

(ii) आबंटित रेलवे में न्यूनतम 5 वर्ष पूरा करने के बाद ही प्रशासनिक हित में अधिकारियों की रेलवे बोर्ड/अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन/सीटीआई/उत्पादन इकाइयों/अन्य यूनिटों में तैनाती करने पर विचार किया जाएगा।

(iii) आबंटित रेलवे में 5 वर्ष पूरा करने तक स्थानान्तरण के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) स्वीकृत पद की स्पष्ट रिक्ति होने पर ही स्थानान्तरण और तैनाती पर विचार किया जाएगा। विदेश में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अधिकारियों की पूर्वी क्षेत्र में तैनाती की वर्तमान नीति का पालन करना जारी रहेगा।

(v) रेलवे बोर्ड/सीटीआई/अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन/रेल भर्ती बोर्ड में तैनाती 5 वर्ष की अधिकतम निर्धारित समयावधि वाली तैनाती होगी और यह प्रतिनियुक्ति पद नहीं होगा। अतः इसके लिए अन्तर-रेलवे/यूनिट स्थानान्तरण से संबंधित सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(vi) रेलवे बोर्ड/अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में तैनाती की दो समयावधियों के बीच न्यूनतम 3 वर्ष 'क्लिंग आफ' अवधि अपेक्षित होगी।

(vii) सामान्य तौर पर किसी पद विशेष की एक समय पर न्यूनतम समयावधि 2 वर्ष और अधिकतम समयावधि 5 वर्ष होगी। संवेदनशील पदों के लिए अधिकतम समयावधि 4 वर्ष होगी। जूनियर स्केल/ग्रुप 'ए' के सीनियर स्केल अधिकारियों के लिए न्यूनतम समयावधि लागू नहीं होगी। बहरहाल, प्रशासनिक जरूरत को देखते हुए संवर्ग नियंत्रक अधिकारी द्वारा इसमें रियायत दी जा सकती है।

(viii) किसी स्टेशन विशेष में एक बार में कुल तैनाती अवधि 10 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और संचयी रूप से (अलग-अलग काल खण्डों में) कुल तैनाती अवधि 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति की इस प्रयोजन के लिए गणना नहीं की जाएगी। इसे चरणबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

(ix) रेलों में आईआरएनएस डॉक्टरों (डेंटल संवर्ग सहित) के मामले में प्रस्तावित नीति निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार होगी:

(क) डॉक्टरों का रेलवे के भीतर और रेलवे से बाहर स्थानान्तरण करने के बारे में प्रशासनिक हित को ध्यान में रखकर मामला-दर-मामला आधार पर उपयुक्त स्तर पर रेलवे/बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। लगातार/संचयी रूप से (किसी स्टेशन विशेष पर अलग-अलग काल खण्डों में) तैनाती अवधि क्रमशः 15 और 20 वर्ष होगी। बहरहाल, ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को जारी करते समय निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(1) सुपर स्पेशिएलिस्ट डॉक्टरों को किसी एक सुपर स्पेशिएलिटी सेंटर से समान स्पेशिएलिटीज वाले दूसरे सुपर स्पेशिएलिटी सेंटर में ही स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(2) जून अथवा मण्डल के सेन्ट्रल अस्पताल के सीनियर स्पेशिएलिस्ट को समान स्तर के दूसरे मण्डल अथवा जूनल सेंटर में ही स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

(3) जनरल इयूटी मैडिकल अधिकारियों और डेंटल सर्जन को ऐसे किसी पद से दूसरे स्थानों पर समकक्ष पद पर तैनात किया जा सकता है।

नोट: इन मार्गनिर्देशों के पीछे औचित्य यह है कि प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते समय स्पेशिएलिस्ट सेवाएं प्रभावित न हों।

(x) रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मिकों का स्थानान्तरण, महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी किए गए रेलवे बोर्ड के स्थाई आदेश सं. 102 और 110 के अनुसार किया जाएगा। किसी स्टेशन विशेष में लगातार तैनाती की कुल समयावधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और संचयी रूप से (अलग-अलग काल खण्डों में) तैनाती की कुल समयावधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xi) आईआरईसी वॉल-1 के पैरा 124 के अनुसार महाप्रबंधकों को अराजपत्रित रेल सेवकों के मामले में नियम बनाने की पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है। बहरहाल, किसी संवेदनशील पद पर तैनाती की अधिकतम समयावधि 4 वर्ष होगी। अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में रेलवे ज्वाइन करने के 5 वर्ष पूरा होने तक अन्तर-रेलवे स्थानान्तरण के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xii) रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, रेल मंत्रालय द्वारा 28.07.2010 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)ए/1(1)/1 द्वारा यथा लागू कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मार्गनिर्देशों द्वारा शासित होगी।

(xiii) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति से लौटने, सेवानिवृत्ति आदि के कारण किए जाने वाले स्थानान्तरणों को छोड़कर अन्य स्थानान्तरण आम तौर पर जनवरी से मार्च तक जारी किए जाएंगे। बहरहाल, प्रशासनिक तात्कालिकता को देखते हुए जब कभी अपेक्षित हों स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाएं।

(xiv) नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानान्तरित किए गए अधिकारियों को एक साल की अधिकतम अवधि के भीतर कार्य-भार मुक्त कर दिया जाएगा।

(xv) 06.06.2014 के कार्यालय आदेश सं. 42011/3/2014 ईस्ट (आरएस) के अनुसार प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन किसी ऐसे सरकारी सेवक को स्थानान्तरण की कटीन कवायद/रोटेशनल स्थानान्तरण से छूट दी जाए जिसे अशक्त बच्चे की भी देखभाल करनी हो।

(xvi) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के परिपत्र सं. एफ नं. 28034/9/2009-ईस्ट (ए) में उल्लेख किए गए अनुसार पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा।

(xvii) सभी नए स्थानान्तरण आदेश इस नीति से शासित होंगे।

(xviii) भविष्य में अधिकारियों के अन्तर-रेलवे स्थानान्तरण के अनुरोध ऑन लाइन किए जाएंगे जिसके लिए अलग से एक सिस्टम विकसित किया जाएगा और उसे परिपत्रित किया जाएगा।

(आर. के. मोणा)
संयुक्त सचिव (राजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निजी सचिव/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री, सलाहकार(जन शिकायत)/रेल राज्य मंत्री, कार्यपालक निदेशक(इनोवेशन)/रेल राज्य मंत्री
2. अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य/कार्मिक, सदस्य/इंजीनियरी, सदस्य/यांत्रिक, सदस्य/बिजली, सदस्य/यातायात, सचिव, महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल, महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं, सभी अपर सदस्य/सलाहकार, ओएसडो/पीआरआई, सभी कार्यपालक निदेशक, संयुक्त सचिव(जी), संयुक्त सचिव(ई), संयुक्त सचिव(ई)-II, संयुक्त सचिव(डीईपी), संयुक्त सचिव(पी), संयुक्त सचिव(सी)/पी, एडीजी/पीआर, निदेशक(ई), निदेशक(जीए), निदेशक(ए), डीआईपी, निदेशक(सी)/सीआरबी, अवर सचिव(सी), अवर सचिव(ए), अवर सचिव(ए)-II अवर सचिव(नयाचार), रेलवे बोर्ड के पीएसओ/वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव
3. महानिदेशक, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन और एनएआईआर, वडोदरा
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफ़ो, नई दिल्ली
5. चेतन एवं लेखाधिकारी, रेलवे बोर्ड
6. सेक्रेटरी जनरल, प्रोआ और इरपोफ, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफए, रेल भवन, नई दिल्ली
8. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ और एनएफआईआर, रेल भवन, नई दिल्ली
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी एण्ड एसटी एसोसिएशन, रेल भवन
10. रेलवे बोर्ड सचिवालय ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन
11. रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेंटर: वेबसाइट पर सूचना को अपडेट करने के लिए